तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर [illegible] जो इस [illegible] में
10/7/25	पत्रावली पेश पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी/ प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र O7 R11 CPC का स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। प्रार्थी/ प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र O7 R11 CPC स्वीकार करते हुए वादी का वाद को खारिज किया जाता है पत्रावली में नतीजा मुताबिक दर्ज रजिस्टर में करने के बाद पत्रावली जमा रिकॉर्ड रूम में शामिल हो [signature] सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :— सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

दावा संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
93 / 2025	28.04.2025	10.12.2025

बउनवान

1. श्री निवासी एन्टरपाईजेज मलावली तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर जरिये डायरेक्टर्स उमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कैलाश चन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी 62 गणेश गुवाडी, बुध विहार, अलवर राज0, एवं डायरेक्टर ओमप्रकाश वर्मा पुत्र श्री कजोड राम वर्मा जाति जाटव निवासी ग्राम मलावली तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर राज0।

:— वादी / अप्रार्थी

बनाम

1. तुलसीदास पुत्र श्री कजोडमल जाति खत्री
2. श्रीमती शांता बाई पत्नी श्री तुलसीराम जाति खत्री सिंधी निवासीयान आनन्दनगर विहार, वार्ड नम्बर 21, खैरथल जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— तकमील प्रतिवादी / प्रार्थी

दावा अन्तर्गत 91, 92 ए, 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी / तकमील प्रतिवादी वकील –: दिनेश कुमार सैनी
अप्रार्थी / वादी वकील –: सतीश यादव

आदेश 07 नियम 11 (घ) व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. यह है कि उक्त अनुवान का प्रकरण अदालत श्रीमान में विचाराधीन है। जिसमें आज की तारीख पेशी नियत है।
2. यह है कि वादी का उक्त वाद अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में नहीं है उक्त वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है जिस कारण वादी का वाद चलने योग्य नहीं है काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।
3. यह है कि वादी को उक्त वाद अदालत श्रीमान में पेश करने पर 40,00,000 रूपयें कोर्ट फीस पेश करनी थी जिससे भी राजस्व को भारी क्षति हुयी है जिस कारण भी वादी का उक्त वाद चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रतिवादी सं० 1 व 2 का प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी

सहायक कलक्टर (फा०से०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (घ) एवं सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी वादी की ओर से निम्न प्रकार पेश है।

1. यह है कि पैरा सं० 1 बाबत तारीख पेशी है जो सही है स्वीकार है।
2. यह है कि पैरा सं0 2 गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त वाद धारा 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सुनने का क्षेत्राधिकार अदालत श्रीमान को है जिस कारण वादी ने उक्त वाद अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया है। प्रतिवादी ने मिन वादी को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।
3. यह है कि पैरा सं० 3 गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त वाद का क्षेत्राधिकार अदालत श्रीमान को है ना कि सिविल न्यायालय को इसलिये राजस्व को भारी क्षति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र काविल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (घ) एवं सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

वकील प्रार्थी (प्रतिवादी 1 व 2) की बहस
प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 01 व 02) की ओर से निवेदन है कि वादी द्वारा दायर वाद न तो न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में आता है और न ही राजस्व न्यायालय में विचारणीय वाद है।

1. यह है कि वादी ने धारा 91, 92ए, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नाम पर अधिकार–क्षेत्र बनाकर वाद दायर किया है, जबकि वाद का वास्तविक स्वरूप स्वत्व, कब्जा व स्वामित्व के जटिल सिविल विवाद से संबंधित है, जो राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
2. यह है कि वादी द्वारा कोई ऐसी राहत नहीं मांगी गई है जो धारा 91 या 92 ए के अंतर्गत राजस्व न्यायालय के क्षेत्र में आती हो। वादी की मांग घरेलू, स्वामित्व, बैयनामा, दस्तावेजों की मान्यता जैसे जटिल सिविल मुद्दों पर आधारित है, जिनका निर्णय केवल सिविल न्यायालय कर सकता है।
3. यह है कि वादी ने गलतफहमी में वाद दायर कर न केवल न्यायालय का समय नष्ट किया है बल्कि राजस्व को भी भारी क्षति पहुँचाई है। यदि वाद सिविल प्रकृति का है तो उस पर उचित कोर्ट फीस भी सिविल न्यायालय में ही देय थी।
4. यह है कि वादी ने न्यायालय को गलत दिशा में ले जाकर अनावश्यक कार्यवाही प्रारंभ कराई है, जो दुरुपयोग न्याय प्रक्रिया (abuse of process of court) है।

अतः वादी का वाद प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है तथा आदेश 7 नियम 11 (घ) सहपठित धारा 151 CPC के अंतर्गत वाद प्रारम्भ स्तर पर ही खारिज किया जाना अनिवार्य है।

वकील अप्रार्थी / वादी की बहस
वादी की ओर से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विरोध किया कि

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

1. यह है कि वादी द्वारा दायर वाद धारा 91, 92ए, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पूर्णतः विचारणीय है, यह भूमि संबंधी कृषि प्रकृति का विवाद है, अतः राजस्व न्यायालय को ही इसका क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
2. यह है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र केवल वाद को विलंबित करने, वादी को परेशान करने व न्याय की प्रक्रिया को अवरुद्ध करने हेतु दायर किया गया है। वादी की वादावली में जो भी विवाद उठाया गया है वह राजस्व न्यायालय की मूलाधिकार सीमा में आता है।
3. यह है कि प्रतिवादी द्वारा कोर्ट फीस के बारे में उठाया गया मुद्दा मिथ्या, अर्थहीन व भ्रामक है। कृषि भूमि व काश्तकारी संबंधी विवादों में इस प्रकार की कोर्ट फीस देय नहीं होती।
4. यह है कि न्यायालय में लंबित प्रकरण को अनावश्यक रूप से खारिज करवाने के उद्देश्य से आदेश 7 नियम 11 का गलत प्रयोग किया गया है।

अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र पूर्णतः खारिज योग्य है तथा वादी का वाद सुनवाई योग्य है।

विवेचन

प्रकरण अभिलेख एवं दोनों पक्षों के तर्कों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर निम्न तथ्य स्थापित होते हैं–

1. वादी ने वाद को धारा 91, 92ए, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया है, परन्तु वादी द्वारा मांगी गई राहतों का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि वाद का वास्तविक स्वरूप स्वत्व, स्वामित्व, दस्तावेजों की वैधता, कब्जा एवं जटिल सिविल मुद्दों से संबंधित है।
2. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत केवल वे ही वाद विचारणीय हैं, जो कृषि भूमि के कृषि उपयोग, खेतीहर अधिकार, गिरदावरी, कब्जा व काश्तकारी अधिकारों से संबंधित हों। वादी की वादावली इन सीमाओं में नहीं आती है।
3. उच्चतम न्यायालय तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों के अनुसार,
   ’ जहाँ वाद का स्वरूप सिविल हो,
   ’ जहाँ अधिकार–स्वत्व का मूल प्रश्न हो,
   ’ या जहाँ दस्तावेजों की वैधता का प्रश्न हो,
   वहाँ राजस्व न्यायालय का नहीं बल्कि केवल सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बनता है।
4. वादी ने जो मांग रखी है वह कृषि भूमि से संबंधित विवाद नहीं बल्कि स्वामित्व–निरस्तीकरण/घोषणा जैसी राहत है, जो धारा 91 या 92 ए के अंतर्गत नहीं आती है।
5. अतः वादी का वाद प्रथम दृष्टया काश्तकारी न्यायालय में चलने योग्य नहीं है तथा आदेश 7 नियम 11 (घ) CPC के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र के अभाव में वाद का खारिज किया जाना आवश्यक है।

सहायक कलक्टर (फा...)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

6. प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत, तर्कसंगत एवं स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (घ) सहपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पर विचार किया गया।

वादी द्वारा दायर वाद का वास्तविक स्वरूप सिविल प्रकृति का पाया गया, जो काश्तकारी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी/अप्रार्थी का वाद अधिकार क्षेत्र के अभाव में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0
सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

3/12/25

पत्रावली ... पेशकार ... दौरे पर ... दिनांक 05/12/25

05/12/25 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते पुकार/बहस दि० 10/12/25 को पेश हो

सहायक कलक्टर (का०द्रं०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

10/12/25 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। प्रार्थी का मूल वाद आदेश 07 R 11 CPC में खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस पत्रावली में आगामी कार्यवाही को ड्रॉप किया जाता है पत्रावली बाद तकमील रिकॉर्ड कर पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो

सहायक कलक्टर (का०द्रं०)